



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1203]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 2012/आषाढ़ 7, 1934

No. 1203]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 2012/ASADHA 7, 1934

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 28 जून, 2012

New Delhi, the 28th June, 2012

का.आ. 1433(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 28 जून, 2012 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 44 और धारा 45 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

S.O. 1433(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby appoints the 28th day of June, 2012 as the date on which the provisions of Sections 30, 31, 44 and 45 of the said Act shall come into force.

[फा. सं. 10/2/11-ई.सी.]

[F. No. 10/2/11-EC]

ज्योति अरोड़ा, संयुक्त सचिव

JYOTI ARORA, Jt. Secy.